

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 149/2023 (अपील सूचना का अधिकार)

कन्हैयालाल नागदा पुत्र शंकरलाल नागदा निवासी: बुजड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा उदयपुर (राज.)

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 08-01-24



प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 18.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/149/23/1548-49 दिनांक 11.12.2023 से लिखा गया अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक: भू.अ./2005/प्र.अ.स.149/23/2023/2869 दिनांक 14.12.2023 से जवाब प्रस्तुत करने हुए निवेदन किया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्रमांक 149/23 कन्हैयालाल नागदा बनाम तहसीलदार गिर्वा में अपील दिनांक 11.12.2023 की पालना में अपीलार्थी श्री कन्हैयालाल नागदा को इस कार्यालय के पत्रांक 2752 दिनांक 28.11.2023 को वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवा दी गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रदत्त आवेदन पत्र में वांछित सूचना नियम समयावधि में इस कार्यालय से प्रार्थी को प्रदत्त किये जाने से उक्त जवाब रेकार्ड पर लिया जाकर अपील निरस्त किये जाने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय के पत्रांक 2752 दिनांक 28.11.2023 से प्रेषित कर उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

चूंकि प्रत्यर्थी को अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियत समयावधि उपरान्त उपलब्ध करवायी गई है अतः प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकार तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों को नियमानुसार निश्चित समयावधि में निरस्तारण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फौसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

M
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर